ऑनलाइन एकीकृत पोर्टल

मोबाइल टावर व ऑप्टिकल फाइबर हेतु आवेदन प्रक्रिया तथा निस्तारण प्रणाली

(नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार)

ओवर ग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया

चरण 1 – पंजीकरण करें

- पोर्टल पर पंजीकरण हेतु संबंधित फील्डों में एजेंसी श्रेणी, एजेंसी का नाम, लाइसेंस नंबर, जीएसटी नंबर, प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एवं अन्य अपेक्षित जानकारियां भरें।
- तत्पश्चात, भरा गया मोबाइल नंबर **One Time Password** (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात, लॉगिन विवरण पंजीकृत मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पर प्रेषित कर दिए जाएंगे।

चरण 2 – लॉगिन करें

- यूज़रनेम (पंजीकृत मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पर प्राप्त), पासवर्ड व कैप्चा संबंधित फील्ड में भरकर लॉगिन करें।

चरण 3 – कंपनी प्रोफाइल सृजित करें

- प्रथम लॉगिन के पश्चात, एक पॉप-अप प्रदर्शित होगा जिसमें आवेदक को एजेंसी विवरण एवं प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण दर्ज करना होगा। आवेदक किसी भी कार्रवाई के लिए तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक की वे कंपनी प्रोफाइल सृजित नहीं करते। प्रोफाइल सृजित करने हेतु निम्न जानकारियों को संबंधित सेक्शन में दर्ज करें:

  एजेंसी विवरण

  - मुख्यालय का पूरा पता
  - लैण्डलाइन नंबर (यदि कोई है)
  - मोबाइल नंबर
  - वेबसाइट का यूआरएल (यदि कोई है)
  - राज्य/सर्किल कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण

  प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण

  - पदनाम
  - पता

चरण 4 – ओवर ग्राउंड ओएफसी बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करें

- कंपनी प्रोफाइल सृजित करने के पश्चात, आवेदक को डैशबोर्ड पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात साइड मेनू, **आवेदन पत्र** पर क्लिक करें, अवसंरचना का प्रकार (ओवर ग्राउंड), दूरसंचार अवसंरचना (ऑप्टिकल

फाइबर केबल), विद्युत वितरण कंपनी (एनबीपीडीसीएल/एसबीपीडीसीएल), जिला तथा विभाग जिनसे अनापत्ति प्रमाणपत्र अपेक्षित है, का चयन करें एवं **Proceed** बटन पर क्लिक करें।

- तदोपरांत, आपको आवेदन पत्र पर हस्तांतरित किया जाएगा जिसे **04** चरणों में विभाजित किया गया है। आवेदक को निम्न जानकारियां संबंधित चरण में दर्ज करनी होगी:

क. परियोजना एवं एजेंसी का मूल विवरण

आवेदक को आवेदन पत्र के इस भाग में निम्न जानकारियां भरनी होंगी:

- आवेदक का नाम
- परियोजना का नाम
- परियोजना का कोड
- परियोजना का विवरण

आवेदक इस चरण पर मुख्यालय एवं राज्य/सर्किल कार्यालय का पता तथा प्राधिकृत व्यक्ति के विवरण में संशोधन कर सकते हैं, यदि आवश्यक हो।

ख. प्रस्तावित कार्य का विवरण

आवेदक को आवेदन पत्र के इस भाग में निम्न जानकारियां भरनी होंगी:

- केबल कहां से बिछाई जानी है
- केबल कहां तक बिछाई जानी है
- प्रस्तावित कार्य की प्रकृति
- बिछाए जाने वाली केबल की लंबाई (किमी में)
- स्थापित किए जाने वाले खंभों की संख्या
- निष्पादन की पद्धति
- कार्य किए जाने हेतु क्षेत्र
  - शहर/कस्बा/गाँव
  - तहसील/ब्लाक

ग. प्रस्तावित कार्य से संबंधित अन्य जानकारियां

आवेदक को आवेदन पत्र के इस भाग में निम्न जानकारियां भरनी होंगी:

- कार्य निष्पादन का मोड
- कार्य निष्पादन की समयसीमा (दिनों में)
- कार्य समाप्त होने की अनुमानित तिथि
- क्या आपने असुविधाओं को कम करने हेतु उचित उपाय किए हैं? (हां अथवा नहीं)
- क्या आपने प्रस्तावित कार्य हेतु सुरक्षा उपाय किए हैं? (हां अथवा नहीं)
- प्रस्तावित कार्य से संबंधित आवेदक की राय में कोई अन्य प्रासंगिक पहलू?
- दूरसंचार विभाग अथवा बिहार सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य पहलू?

- प्रस्तावित भूमिगत टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य का विवरण

घ. **दस्तावेज़ अपलोड करें**

आवेदक को निम्न दस्तावेज PDF प्रारूप में अपलोड करने होंगे जिसके प्रत्येक का साइज़ 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए:

- दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पंजीयन प्रमाणपत्र/अनुज्ञापत्र
- रूट प्लान

- आवेदन पत्र में संपूर्ण जानकारियां भरने के पश्चात, घोषणा सामग्री पढ़ें, “मैं सहमत हूं” के चेक बॉक्स पर क्लिक करें तथा **Submit Application Form** बटन पर क्लिक करें।
- तत्पश्चात, आवेदक को भरे गए आवेदन पत्र के अवलोकन तथा आवेदन को अंतिम रूप से दर्ज करने हेतु हस्तांतरित किया जाएगा। आवेदन के अंतिम रूप से दर्ज होने के पश्चात इसमें किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी। अतः, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र को अंतिम रूप से दर्ज करने से पूर्व संबंधित चरण पर जाकर अपेक्षित जानकारी संशोधित कर लें, यदि कोई है।

आंशिक रूप से दर्ज आवेदन ***अपूर्ण आवेदन पत्र*** *सेक्शन में प्रदर्शित होंगे। आवेदक इस सेक्शन के माध्यम से संबंधित आवेदन को पूर्ण कर सकेंगे।*

एक बार सृजित लॉगिन आवेदक द्वारा संबंधित पंजीकृत एजेंसी द्वारा बिहार में किसी भी दूरसंचार अवसंरचना को स्थापित करने/बिछाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

चरण 5 – शुल्क का भुगतान करें

- आवेदन पत्र को अंतिम रूप से दर्ज करने के पश्चात, आवेदक को शुल्क (जैसा विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा) के ऑनलाइन भुगतान हेतु हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- आवेदक को पहले रूट अनुमति शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान के पश्चात आवेदन संबंधित डिस्कॉम को आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा।
- डिस्कॉम आवेदन की समीक्षा करेगा तथा पोल किराया निर्धारित करेगा।
- तत्पश्चात आवेदक को निर्धारित पोल किराए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान के पश्चात, डिस्कॉम, पोल की स्थापना हेतु सहमति पत्र निर्गत कर देगा।

किसी भी शुल्क भुगतान हेतु शुल्क भुगतान पृष्ठ पर प्रदर्शित हो रहे **Proceed to Pay** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात, आवेदक को पेमेंट गेटवे पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा जहां उन्हें डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करना होगा। भुगतान के पश्चात, आवेदक भुगतान की रसीद डाउनलोड कर सकेंगे।

आवेदन, जो अंतिम रूप से दर्ज किए जा चुके हैं परंतु शुल्क भुगतान हेतु लंबित हैं, ***शुल्क भुगतान हेतु लंबित आवेदन*** *सेक्शन में प्रदर्शित होंगे। आवेदक इस सेक्शन के माध्यम से संबंधित आवेदन का भुगतान कर सकेंगे।*

चरण 6 – दर्ज आवेदन पत्र की स्थिति देखें

- डिस्कॉम द्वारा सहमति पत्र निर्गत होने के पश्चात, आवेदन संबंधित विभाग को आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा।
- आवेदक, आवेदन की स्थिति, **दर्ज आवेदनों की स्थिति** सेक्शन के माध्यम से देख सकेंगे। यदि विभाग द्वारा दर्ज आवेदन में कोई आपत्ति दर्ज की जाती है तो आवेदक को उसे जल्द से जल्द निस्तारित करना होगा।
- विभाग द्वारा की गई प्रत्येक कार्यवाही (आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति/सर्वेक्षण रिपोर्ट निर्गत करना/आपत्ति दर्ज करना) की स्थिति इस सेक्शन में प्रदर्शित होगी।
- अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात आवेदक, प्रमाणपत्र इस सेक्शन के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे।

आवेदन की प्रक्रिया के दौरान आवेदक को हर आवश्यक चरण पर एसएमएस व ईमेल अलर्ट भी प्राप्त होंगे।